न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/5704/2003 /अजमेर</u>

1– कालूराम पुत्र जयराम, जाति जाट (मृतक) जरिये वारिसानः–

1/1– बिरदी देवी पत्नि कालूराम,

1/2– रतन पुत्र कालूराम,

1/3– गोरधन पुत्र कालूराम,

1/4– रामदयाल पुत्र कालूराम,

1/5– अमरती पुत्री कालूराम,

1/6– लाली पुत्री कालूराम,

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम खातोली, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।

2– हरजी पुत्र जयराम, जाति जाट,

3– मोती पुत्री जयराम, जाति जाट,

4– मंगला पुत्री जयराम, जाति जाट,

5– मदन पुत्र जयराम, जाति जाट (मृतक) जरिये वारिसानः–

5/1– कमला पत्नि मदन,

5/2– रंगलाल पुत्र मदन,

5/3– सरदार पुत्र मदन,

5/4– नन्दू पुत्री मदन,

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम खातौली, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

–अपीलांट्स

बनाम

1– श्रीमती सायर कंवर पत्नि मंगलसिंह,

2– राजवीर सिंह पुत्र मंगलसिंह (मृतक) जरिये वारिसानः–

2/1– राजेन्द्र कंवर पत्नि राजवीर सिंह,

2/2– महिपाल सिंह पुत्र राजवीर सिंह,

2/3– उर्वशी कंवर पुत्री राजवीर सिंह,

समस्त जाति राजपूत, निवासी खातौली, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

3– जसवीर सिंह पुत्र मंगलसिंह,

4– बृजराज सिंह पत्र मंगलसिंह,

5– श्रीमती विजय लक्ष्मी पुत्री मंगलसिंह,

6– श्रीमती किशन कंवर पुत्री मंगलसिंह,

7– श्रीमती ओम कंवर पुत्री मंगलसिंह,

8– कुमारी रामकंवर पुत्री मंगलसिंह,

समस्त जाति राजपूतान, निवासी खातौली, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

मंजू राजपाल, सदस्य

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थीगण ।

श्री अनिल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ।

निर्णय

दिनांकः–

अपीलांटस द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मंगलसिंह पुत्र सांवतसिंह जिसका कि स्वर्गवास हो चुका है एवं रेस्पो0 जिसके वारिसान है, ने एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध ग्राम खातौली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित आराजी खसरा नंबर 318 रकबा 42 बीधा 12 बिस्वा बाबत् इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि उपरोक्त आराजी की खातेदार वादी की माता ठुकरानी राजावत जी पत्नि स्व0 सांवत सिंह थी, जिसका स्वर्गवास दिनांक 16.8.1992 को हो गया । ठुकरानी राजावतजी का स्वर्गवास होने पर वादी उनका कानूनन वारिस होने से खातेदार हो गया । विवादित भूमि पर वह काबिज है व काश्त करता आ रहा है । प्रतिवादी–रेस्पोडेंट का विवादग्रस्त आराजी पर कोई स्वत्व अधिकार नहीं है परन्तु दिनांक 6.7.1994 को वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा किया । अतः वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। प्रतिवादी संख्या 3 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद के कथनों से इंकार कर कथन किया कि ठुकरानी राजावतजी साबिक आराजी खसरा नंबर 405 हाल खसरा नंबर 318 रकबा 42 बीधा 12 बिस्वा की खातेदार थी, जिसका स्वर्गवास हो चका है । ठुकरानी राजावत जी वादग्रस्त भूमि पर कभी काबिज नहीं रही और न ही काश्त की । इसलिये कब्जे में व्यवधान का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । विवादित भूमि जागीर की थी । जागीर समाप्त होने पर प्रतिवादीगण इस भूमि के खातेदार हो गये है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशगनढ़ ने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02. 2003 द्वारा वादी/रेस्पो0 का वाद निरस्त कर दिया । इस

निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादी/रेस्पो0 ने विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की जो निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2003 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया गया । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2003 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह द्वितीय अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है ।

3– हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02. 2003 को निरस्त कर वादी का वाद डिक्री करने में अपनी अधिकारिता का दुरूपयोग किया है । वादी/रेस्पो0 ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था जिससे वह विवादित भूमि पर काबिज हो । दौराने अपील रेस्पोडेंटस ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 प्रस्तुत कर खसरा गिरदावरी संवत् 2031 से 2033 व खसरा गिरदावरी संवत् 2054 से 2057 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रसतुत की । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 को स्वीकार करने का कोई कारण अपने निर्णय में नहीं दर्शाया है ना ही वादी/रेस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र में ऐसे कोई आधार दिये कि किन कारणों से वह अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त दस्तावेज पेश नही कर सके थे । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज वादी के पास प्रारंभ से उपलब्ध थे । अपीलीय न्यायालय वादी के वाद में रही कमी को पूरा कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णय पारित नहीं कर सकते थे ।

बहस में आगे तर्क किया कि मूल खातेदार ठुकरानी राजावतजी ने अपने लिखावट दिनांक 15.5.1982 द्वारा विवादित भूमि खसरा नंबर 318 में 20 बीघा भूमि अपीलांट मोती को दे दी थी । उक्त 20 बीघा भूमि पर अपीलांटस काबिज काश्त चला आ रहा है, शेष रकबे पर छोटूलाल गुर्जर का कब्जा चला आ रहा है । खसरा गिरदावरी संवत् 2031 से 2033 वादी–मंगलसिंह के नाम नहीं रही है और यह खसरा गिरदावरी वादी के वाद को सिद्ध करने के लिये भी पर्याप्त नही है चूंकि मूल खातेदार ठुकरानी राजावतजी ने दिनांक 15.5.1982 को लिखित में अपीलांटस को कब्जा दिया जाना स्वीकार किया है । यद्यपि काश्तकार की हैसियत से प्रतिवादीगण पूर्व से ही इस भूमि पर काबिज थे । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने गवाहान के बयाना को काटते हुए इन पर विश्वास नहीं कर, इन दोनों ही दस्तावेजों जिनसे कि वादी का कब्जा साबित नहीं होता है को आधार मानकर वादी का वाद डिक्री करने में कानूनी भूल की है । प्रतिवादी/अपीलांट का कब्जा मूल खातेदार ने माना है एवं अपीलांटस के सभी गवाहान ने अपीलांटस के कब्जे की ताईद की है । यहां तक की छोटूलाल के लड़के ने शेष रकबे पर स्वंय व अपीलांट का कब्जा होना स्वीकार किया है । अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम की गई वह वाद डिक्री किये जाने के लिए पर्याप्त नही थी । तनकी संख्या 2 जिस प्रकार कायम की गई है उस प्रकार निर्णित नहीं की गई है । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने संपूर्ण विवादित भूमि बाबत् अपीलांटस के विरूद्ध डिक्री पारित की है जो नही की जा सकती थी । अधी0न्याया0 ने प्लीडिंग से परे जाकर अपना निर्णय व डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2003 को निरस्त किया जावे तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.2.2003

को यथावत् रखा जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में ए0आई0आर0 सुप्रीम कोर्ट पेज 900, आर0बी0जे0 1996 पेज 174, आर0आर0डी0 1996 पेज 86, आर0आर0टी0 2008 (2) पेज 301 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5– इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता रेस्पोर्डेंटस ने अपनी बहस में कथन किया कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2003 विधिसम्मत् है । वादी–रेस्पो0 विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार होकर काबिज काश्त है । परीक्षण न्यायालय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने मौखिक साक्ष्यों को महत्व देकर वाद को खारिज करने में त्रुटि कारित की है । वादीगण–रेस्पो0 ग्राम खातौली के खसरा नंबर 318 रकबा 42 बीधा 12 बिस्वा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसकी ताईद जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 एक्जी01 से होती है । इसी प्रकार एक्जी02 के अनुसार विरासत का इंतकाल वादी के पक्ष में तस्दीक किया गया है । खसरा गिरदावरियां संवत् 2031 से 2033 व 2054 से 2057 से विवादित भूमि पर वादी/रेस्पो0 का कब्जा काश्त होना प्रमाणित है । कब्जे बाबत् खसरा गिरदावरियां महत्वपूर्ण साक्ष्य है । आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर अपीलांटस को रिबिटल में दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया था लेकिन कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है जिससे विवादित आराजी पर अपीलांटस का कब्जा काश्त साबित हो । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने विधिसम्मत् रूप से वाद डिक्री किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पोडेटस डी0एन0जे0 सुप्रीम कोर्ट 2003 (1) पेज 193, आर0आर0डी0 1973 पेज 231, 400,

आर0आर0डी0 2001 पेज 190, आर0आर0डी0 1992 पेज 642 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

6– हमनें उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकॉर्ड का अध्ययन एवं मूल्यांकन किया ।

7– वादीगण/रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम खातोली स्थित खसरा नंबर 318 रकबा 42 बीघा 12 बिस्वा भूमि के खातेदार वादीगण की माता श्रीमती ठुकरानी राजावत जी पत्नि सांवत सिंह थी, जिनका स्वर्गवास दिनांक 16.08.1992 को हो गया है । वादीगण की माता के स्वर्गवास के पश्चात् वादीगण एक मात्र उत्तराधिकारी होने से वादग्रस्त आराजी का खातेदार है एवं काबिज काश्त है। किन्तु प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करते है । अतः वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । इसके विपरीत प्रतिवादीगण/अपीलांट ने तहत न्यायालय के समक्ष जवाब दावा पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा है तो वादी की काश्त में व्यवधान करने का प्रश्न ही नहीं होता है । वादग्रस्त भूमि पर उसके पूर्वाधाधिकारी जागीर के समय से ठिकाने के काश्तकार होने से प्रतिवादीगण राज0 सरकार के काश्तकार हो गये है । जागीर का अवसान होने से प्रतिवादीगण कानूनन आधिपत्य अधीन भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये है । ठुकरानी श्रीमती राजावत जी द्वारा दिनांक 15.5. 1982 द्वारा वाद अधीन भूमि में से 20 बीघा भूमि मुआवजा प्राप्त कर उक्त भूमि रखने पर अपने अधिकार कब्जे सहित हक प्रतिवादीगण को समाहित कर दिये थे। 31 वर्षो से विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण काबिज है । प्रतिवादीगण के अलावा 17 बीघा भूमि पर छोटूलाल गुर्जर

काबिज काश्त है । वादी का वाद अवधि बाहर है जो खारिज योग्य है।

8– तहत न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण/अपीलांटस ने पी0डब्ल्यू0 1 मोतीराम ने अपने बयानों में प्रतिवादीगण द्वारा वर्ष 1982 में मंगलसिंह की माता श्रीमती राजावत से खरीद करना बताया जिसकी लिखत–पड़त एक्जी0ए–1 है जिस पर श्रीमती राजावत के हस्ताक्षर है । लिखावट के समय मोहनसिंह, लालाराम गवाह थे जिन्होंने वर्ष 1982 से आज तक निरन्तर कब्जा मोतीराम का होना बताया तथा कब्जे की पुष्टि के संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 06.07.1994 एक्जी0ए–2 है । मंगलसिंह ने प्रतिवादी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें पुलिस द्वारा एफ0आर0 लगाई गई थी । एफ0आर0 की नकल एक्जी0पी–3 है । पुलिस जांच में 20 बीघा भूमि पर मोतीराम का कब्जा काश्त बताया है । इसी प्रकार डी0डब्ल्यू0 6 रामगोपाल वर्मा, तत्कालीन पटवारी खातोली ने अपने बयान में बताया कि तहसीलदार के आदेशानुसार दिनांक 5.07.1994 को वसीयत के नामांतकरण की जांच हेतु मौके पर गया था । उक्त जांच ग्राम खातोली स्थित खसरा नंबर 317 व 318 वाद अधीन भूमि बाबत् थी । दौराने जांच मौके पर बाबू ताज मौह0, रणजीतसिंह, बजरंग सिंह ने बताया कि कब्जे का विवाद है । मौके पर छोटू पुत्र सूज्जा गुर्जर व मोती पुत्र जयराम जाट काबिज है। वादीगण/रेस्पो0 ने विवादित आराजियात पर प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा दखलदांजी किये जाने का कथन किया है किन्तु विवादित आराजियात पर स्वंय का कब्जा काश्त होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । खसरा गिरदावरी संवत् 2031 से 2033 में वादी–मंगलसिंह का नाम नहीं है । इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संवत् 2054 से 2057 से भी वादी के कब्जे काश्त की पुष्टि नहीं होती है । विद्वान राजस्व अपील

प्राधिकरी, अजमेर ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से परे जाकर वादी/रेस्पो0 का वाद स्वीकार किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। जब विवादित आराजियात पर वादी/रेस्पो0 का कब्जा काश्त ही नहीं है तो वादी/रेस्पो0 किस प्रकार धारा 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत अनुतोष प्राप्त कर सकता है । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं कहा जा सकता है।

8– उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2003 निरस्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2003 यथावत् रखा जाता है ।

9– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर हो।

10– निर्णय सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा) **(मंजू राजपाल)**

सदस्य **सदस्य**